

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-2

संख्या- 1605 /सेक-2-पांच-16-5(304)/2014

लखनऊ :: दिनांक 10 मई, 2016

कार्यालय-ज्ञाप

शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4130/सेक-2-पांच-15-5(304)/2014, दिनांक 14.12.2015 द्वारा प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारी, डा0 कैलाश नाथ तिवारी(वरि0क्र0-6524), वरिष्ठ परामर्शदाता, एम0एम0जी0 चिकित्सालय, गाजियाबाद को प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरित करते हुए वरिष्ठ परामर्शदाता(सर्जन), जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर के पद पर तैनात किया गया था।


- 2- सम्यक् विचारोपरान्त डा0 कैलाश नाथ तिवारी का वरिष्ठ परामर्शदाता(सर्जन), जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर के पद पर किये गये स्थानान्तरण आदेश को संशोधित करते हुए डा0 तिवारी को वरिष्ठ परामर्शदाता(सर्जन), जिला चिकित्सालय, बागपत के पद पर एतद्वारा तैनात किया जाता है।
- 3- डा0 तिवारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायें।
- 4- उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 14.12.2015 इस सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाय।

विनोद कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या:- 1605 (1)/सेक-2-पांच-16, तदिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (प्रथम), उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 3- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, मेरठ/बस्ती मण्डल।
- 5- मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, सिद्धार्थनगर/बागपत/एम0एम0जी0 चिकित्सालय, गाजियाबाद।
- 6- वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, गाजियाबाद/सिद्धार्थनगर/बागपत।
- 7- संबंधित चिकित्साधिकारी।
- 8- प्रभारी, कम्प्यूटर सेल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के साथ-साथ संबंधित चिकित्सक का पी-2 संशोधित करने का कष्ट करें।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।